

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

**हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
आदेश**

दिनांक 10 जून, 2022

संख्या 24/आ0-1/पं0अ01/1914/धा0 31 तथा 32/2022.—हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1), की धारा 31 तथा 32 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब आबकारी राजकोषीय आदेश, 1932, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) ये आदेश पंजाब आबकारी राजकोषीय (हरियाणा संशोधन) आदेश, 2022, कहे जा सकते हैं।
(2) ये जून, 2022 के बाहरवें दिन से लागू होंगे।
2. पंजाब आबकारी राजकोषीय आदेश, 1932 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त आदेश कहा गया है) में, खण्ड 1 में, —
(i) विद्यमान सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“सारणी

क्रम संख्या	मदिरा या स्पिरिट के प्रकार	शुल्क दर
1	2	3
“1.	देसी मदिरा (50 डिग्री प्रूफ)	₹74.00 प्रति प्रूफ लीटर
2.	मेट्रो मदिरा (65 डिग्री प्रूफ)	₹82.00 प्रति प्रूफ लीटर
3.	भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट ब्राण्ड एक्स डिस्टिलरी प्राईस सहित ₹1051 से ₹1250 प्रति पेटी तक	₹130.00 प्रति प्रूफ लीटर
4.	भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट ब्राण्ड एक्स डिस्टिलरी प्राईस सहित ₹1251 से ₹1500 प्रति पेटी तक	₹135.00 प्रति प्रूफ लीटर
5.	भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट ब्राण्ड एक्स डिस्टिलरी प्राईस सहित ₹1501 से ₹2500 प्रति पेटी तक	₹140.00 प्रति प्रूफ लीटर
6.	भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट ब्राण्ड एक्स डिस्टिलरी प्राईस सहित ₹2501 से ₹3500 प्रति पेटी तक	₹150.00 प्रति प्रूफ लीटर
7.	भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट ब्राण्ड एक्स डिस्टिलरी प्राईस सहित ₹3501 से ₹5000 प्रति पेटी तक	₹185.00 प्रति प्रूफ लीटर
8.	भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट ब्राण्ड एक्स डिस्टिलरी प्राईस सहित ₹5001 से ₹7000 प्रति पेटी तक	₹220.00 प्रति प्रूफ लीटर
9.	भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट ब्राण्ड एक्स डिस्टिलरी प्राईस सहित ₹7001 से उपर प्रति पेटी	₹210.00 प्रति प्रूफ लीटर
10.	देसी मदिरा तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा के लिए पोटेबल रैक्टीफाईड स्पिरिट तथा एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल	₹20.00 प्रति प्रूफ लीटर
11.	साईडर	₹5.00 350 मिली लीटर की प्रत्येक बोतल पर।

- (ii) टिप्पण में, पैरा (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(iv) सुरक्षा कार्मिकों को आपूर्ति के लिए निम्नलिखित आबकारी शुल्क उद्गृहीत किया जाएगा जब कैंन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट या पैरा सैनिक बलों के माध्यम से टरुप्स के लिए जारी की जाए:—

क्रम संख्या	मदिरा की किस्म	आबकारी शुल्क ₹ में
1	2	3
“1	भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट	405.00 प्रति प्रूफ लीटर
2	रम	95.00 प्रति प्रूफ लीटर
3	बीयर	80.00 प्रति बल्क लीटर
4	ड्रॉट बीयर	80.00 प्रति बल्क लीटर
5	साईडर	9.50 प्रति बल्क लीटर
6	वाईन	15.00 प्रति बल्क लीटर
7	पीने के लिए तैयार पेय	22.00 प्रति बल्क लीटर
8	भारतीय विदेशी मदिरा (बोटल इन ऑरिजन)	शून्य।”।

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

4. उक्त आदेशों में, खण्ड 1—क में, विद्यमान सारणी में, क्रम संख्या 2 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियों प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3
"2	बीयर/वाईन	₹0.50 प्रति बल्क लीटर।"

5. उक्त आदेशों में, खण्ड 1—ड में, विद्यमान सारणी में, क्रम संख्या 11 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियों प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3
"11	वाईन, साईडर	₹2.00 प्रति बल्क लीटर।"

अनुराग रस्तोगी
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

**HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Order**

The 10th June, 2022

No.24/X-I/P.A./1914/Ss.31 and 32/2022.- In exercise of the powers conferred under sections 31 and 32 of the Haryana Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914), the Governor of Haryana hereby makes the following orders further to amend the Punjab Excise Fiscal Orders, 1932, in their application to the State of Haryana, namely : -

1. (1) These orders may be called the Punjab Excise Fiscal (Haryana Amendment) Orders, 2022.
(2) They shall come into force with effect from the 12th day of June, 2022.
2. In the Punjab Excise Fiscal Orders, 1932 (hereinafter called the said orders), in order 1,-
(i) for the existing table, the following table shall be substituted, namely,-

“Table

Serial number	Kind of liquor or spirit	Rate of duty
1	2	3
“1.	Country Liquor (50 degree proof)	₹74.00 per proof litre
2.	Metro Liquor (65 degree proof)	₹82.00 per proof litre
3.	Indian Made Foreign Spirit Brands with Ex-Distillery Price from ₹1051 upto ₹1250 per case	₹ 130.00 per proof litre
4.	Indian Made Foreign Spirit Brands with Ex-Distillery Price from ₹1251 upto ₹1500 per case	₹ 135.00 per proof litre
5.	Indian Made Foreign Spirit Brands with Ex-Distillery Price from ₹1501 upto ₹2500 per case	₹ 140.00 per proof litre
6.	Indian Made Foreign Spirit Brands with Ex-Distillery Price from ₹2501 upto ₹3500 per case	₹ 150.00 per proof litre
7.	Indian Made Foreign Spirit Brands with Ex-Distillery Price from ₹3501 upto ₹5000 per case	₹ 185.00 per proof litre
8.	Indian Made Foreign Spirit Brands with Ex-Distillery Price from ₹5001 upto ₹7000 per case	₹ 220.00 per proof litre
9.	Indian Made Foreign Spirit Brands with Ex-Distillery Price from ₹7001 and above per case	₹ 210.00 per proof litre
10.	Potable Rectified Spirit and Extra Neutral Alcohol for Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor	₹ 20.00 per proof litre
11.	Cider	₹5.00 per bottle of 350 mili liter.”;

(ii) in the Note, for para (iv), the following para shall be substituted, namely:-

“(iv) The following excise duty shall be levied for supply to defence personnel when issued to troops through Canteen Stores Department or Para Military Forces:-

Serial number	Kind of liquor	Excise Duty in ₹
1	2	3
“1.	Indian Made Foreign Spirit	405.00 per proof litre
2.	Rum	95.00 per proof litre
3.	Beer	80.00 per bulk litre
4.	Draught Beer	80.00 per bulk litre
5.	Cider	9.50 per bulk litre
6.	Wine	15.00 per bulk litre
7.	Ready to Drink Beverages	22.00 per bulk litre
8.	Indian Foreign Liquor (Bottle in Origin)	Nil.”.

3. In the said orders, in order 1-A, in the table, under columns 2 and 3, against serial number 2, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022**

1	2	3
“2.	Beer/Wine	₹0.50 per bulk litre.”.

4. In the said orders, in order 1-E, in the table, under columns 2 and 3, against serial number 11, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :-

1	2	3
“11.	Wine, Cider	₹2.00 per bulk litre.”.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.